

राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग

131


RTE

क्रमांक : ५-२१(१९) प्रा.शिक्षा/आयोज/२०१२

राज-बीकानेर

दिनांक : २५-०८-२०१२

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।



विषय : ब्लॉक स्तरीय परिवेदना निस्तारण समिति की अध्यक्षता के कम में ।
संदर्भ : दिनांक 11.7.2012 की शिक्षा अधिकारियों की बैठक में उठाये गये प्रकरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 से संबंधित परिवेदनाओं के निस्तारण की एक व्यवस्था राज्य सरकार ने अपने नियमों/निर्देशों में प्रतिपादित की हुई है, जिसके लिए ब्लॉक स्तर पर एक समिति के गठन का उल्लेख है, जिसकी अध्यक्षता संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।

दिनांक: 11.7.2012 को विभागीय अधिकारियों की बैठक में यह बिन्दु उठाया गया कि शहरी क्षेत्र के जिन विकास खण्डों में विकास अधिकारी का पद नहीं है, वहाँ पर इस समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। प्रकरण का राज्य सरकार के स्तर पर परीक्षण किया गया तथा परीक्षण उपरान्त निर्देशानुसार शहरी क्षेत्र के ऐसे विकास खण्ड जो पंचायत समितियों के नियंत्रण में नहीं है, के लिए ब्लॉक स्तरीय समिति की अध्यक्षता हेतु संबंधित जिले के जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

अतः आप इन निर्देशों की अनुपालना में अपने अधीनस्थ उन ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी /जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को तदननुसार निर्देशित करें, जहाँ पर विकास अधिकारी का पद/कार्यालय नहीं है।

उप शासन सचिव,
प्रारम्भिक शिक्षा, (आयोजना)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय पंचायतीराज मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।
9. उप सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2-जलपथ, गांधीनगर, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव
प्रारम्भिक शिक्षा(आयोजना)

राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग

RTE

क्रमांक: ए. 21(19) प्रा.शिक्षा/31/2012/3012 दिनांक: 24-08-2012

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

29-AUG 2012
प्राशि/निजी/रास/1714

विषय : ब्लॉक स्तरीय परिवेदना निस्तारण समिति की अध्यक्षता के कम में ।
संदर्भ : दिनांक 11.7.2012 की शिक्षा अधिकारियों की बैठक में उठाये गये प्रकरण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 से संबंधित परिवेदनाओं के निस्तारण की एक व्यवस्था राज्य सरकार ने अपने नियमों/निर्देशों में प्रतिपादित की हुई है, जिसके लिए ब्लॉक स्तर पर एक समिति के गठन का उल्लेख है, जिसकी अध्यक्षता संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।

दिनांक: 11.7.2012 को विभागीय अधिकारियों की बैठक में यह बिन्दु उठाया गया कि शहरी क्षेत्र के जिन विकास खण्डों में विकास अधिकारी का पद नहीं है, वहाँ पर इस समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। प्रकरण का राज्य सरकार के स्तर पर परीक्षण किया गया तथा परीक्षण उपरान्त निर्देशानुसार शहरी क्षेत्र के ऐसे विकास खण्ड जो पंचायत समितियों के नियंत्रण में नहीं है, के लिए ब्लॉक स्तरीय समिति की अध्यक्षता हेतु संबंधित जिले के जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

अतः आप इन निर्देशों की अनुपालना में अपने अधीनस्थ उन ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी /जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को तदननुसार निर्देशित करें, जहाँ पर विकास अधिकारी का पद/कार्यालय नहीं है।

उप शासन सचिव,
प्रारम्भिक शिक्षा, (आयोजना)

कार्यालय, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा/प्रां/आर.टी.ई/प.नि.समिति/18880/12-13/55 दिनांक:- 30-8-12

प्रतिलिपि:- भिन्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर
3. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, कार्यालय हॉजा के पत्रांक प्राशि/निजी/रास/1714 दिनांक 29.08.12 के क्रम में।
5. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा समस्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा समस्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप निदेशक (आर.टी.ई)